संख्या– 82 / आपदा प्रबन्धन / 2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 11 फरवरी, 2004

विषयः–वर्ष 2003–04 में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत टैंकरों, खच्चरों द्वारा ढुलान के भुगतान हेतु अतिरिक्त धनावंटन के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–980 / 13–9(2003–04) दिनांक 12.1.2004, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदा के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या से निपटने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के ढुलान के भुगतान हेतु उपलब्ध कराये गये मांग प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये सम्यक विचारोपरान्त पेयजल के ढुलान के भुगतान हेतु रू0 40,33,766 (रू0 चालीस लाख तैतीस हजार सात सौ छियासठ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत की जारी रही धनराशि के व्यय हेतु जिलाधिकारी भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त पेयजल की आपूर्ति भारत सरकार के आपदा राहत कोष हेतु निर्गत दिशा निर्देशों से आच्छादित होता है और ठेके पर पेयजल आपूर्ति में टेण्डर आदि की अन्य औपचारिकताएं जो नियमानुसार होनी आवश्यक हो, वे सब पूर्ण कर ली जायें अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का ही होगा।

3– व्यय करते समय बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका, टेण्डर / कुटेशन एवं मित्तव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

4– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5– यह भी जिलाधिकारी सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त अवधि में वास्तव में पेयजल संकट था और उक्त क्षेत्रों में पेयजल विभाग की जलापूर्ति पर्याप्त नहीं थी और इस कारण बाहरी माध्यमों से पेजयल की आवश्यकता के दृष्टिगत ही उक्त आपूर्ति की गई है।

6– स्वीकृत धनराशि का भुगतान कर बिल बाउचर, एक माह में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

7– स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या– 372(9) / आ0प्र0 / 2003 दिनांक 20.9.2003 के द्वारा किये गये जनपदवार एलोकेशन द्वारा स्वीकृत रू0 3.25 करोड़ की धनराशि में से ही स्वीकृत की गई है।

8– उक्त पर होने वाला कुल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245 – प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत –05 आपदा राहत निधि–आयोजनागत 800– अन्य व्यय –01– केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें –01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय– 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या— 2807/वि0 अनु0—3/2003, दिनांक 10.2.2004 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री।
3. श्री एल.एम.पन्त, अपर सचिव/वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4. अपर सचिव, पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन।
5. डॉ. राकेश गोयल, राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. वित्त अनु.— 3, उत्तरांचल शासन।
8. धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव